

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.09.2021 जनपद देवरिया

साइबर सेल द्वारा 54 गुमशुदा मोबाईल कीमत लगभग 07 लाख रूपये की बरामद कर सम्बन्धित को सुपुर्द किया गया, साथ ही पिछले 03 माह में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार 21 व्यक्तियों के 11,18,935/—रूपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद—देवरिया डॉ श्रीपति मिश्र द्वारा गुमशुदा मोबाईल के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु साइबर सेल जनपद—देवरिया को प्रार्थना पत्र के निस्तारण एवं गुमशुदा मोबाईल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल जनपद—देवरिया द्वारा गुमशुदा मोबाईल फोन के संबन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं मोबाईल की बरामदगी हेतु नियमानुसार लगातार प्रयास किया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 54 आवेदकगण के गुमशुदा 54 मोबाईल फोन जिनकी कीमत लगभग 07 लाख रूपये हैं, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बरामद किया गया। बरामदशुदा मोबाईल फोन आज दिनांक—24.09.2021 को संबन्धित आवेदकगणों को उन्हें सुपुर्द किया गया।

बरामद मोबाईल फोन का विवरण :-

- ➡एम0आई0 08
- ➡सैमसंग 07
- ➡वीवो 11
- ➡इनफिनिक्स 05
- ➡रीयल—मी 09
- ➡ओप्पो 04
- ➡टेकनो 03
- ➡अन्य कम्पनी 07

ऑनलाइन फ्रॉड करके के खाते से पैसा उड़ाया, साइबर क्राइम सेल ने वापस कराया

जनपद में साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों ने अपनी फरियाद जब पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉ0 श्रीपति मिश्र को जब सौपा तो उन्होंने प्रार्थना पत्रों पर संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को निर्देशित किया था कि प्राथमिकता के आधार पर सर्व प्रथम धनराशि को यथा सम्भव उनके खाते में वापस करा दिया जाय तथा उक्त अपराधियों पर भी सख्त कार्यवाही की जाय।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साइबर सेल ने त्वरित कार्यवाही करते हुए माह — जून, जुलाई और अगस्त में कुल 21 व्यक्तियों के 11,18,935/—रूपये (इग्यारह लाख अट्ठारह हजार नौ सौ पैंतीस) खाते से अवैध

तरीके से निकाले गये धनराशि को वापस कराने में सफलता हासिल की, जिनका विवरण निम्नवत है : —

1-जितेन्द्र कुमार यादव निवासी करमटार देवरिया के खाते से अवैध रूप से पैसे की निकासी कर ली गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में **28,800.00 रूपये** की वापसी करवायी गयी।

2— श्रीमती मनभावती देवी पत्नी स्व० नागेन्द्र, निवासी भरहे चौरा, थाना भटनी, जनपद देवरिया के खाते से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसे की निकासी कर ली गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में **46,800.00 रूपये** वापस कराया गया।

3— श्री नूर आलम पुत्र हाफिज, निवासी व थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया के खाते से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसे की निकासी कर ली गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में **40,000.00 रूपये** वापस कराया गया।

4— श्री अरूण तिवारी निवासी द्वारिकापुरी, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के खाते से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसे की निकासी कर ली गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में **60,000.00 रूपये** वापस कराया गया।

5— महिला आरक्षी गीता पासवान, थाना भाटपारानी, जनपद देवरिया के खाते से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसे की निकासी कर ली गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में **30,000.00 रूपये** वापस कराया गया।

6— श्री नैतुल्लाह खां पुत्र पुत्र नूरहसन खां, निवासी धुसवा, थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में **10,000/—रूपये** मात्र वापस कराया गया।

6— श्री पंकज विष्वकर्मा पुत्र रामअषीष विष्वकर्मा, निवासी चिउरहा खास, थाना महुआडीह, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में **14,000/—रूपये** मात्र वापस कराया गया।

8— श्री मिल्टन विश्वास पुत्र जीवन, निवासी रामपुर जगदीष, थाना तरकुलवा, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित का 45,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

9— श्री बुद्ध कुमार जायसवाल, निवासी व थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 10,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

10— श्री राजू सिंह पुत्र बेचन सिंह, निवासी सलेमपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 25,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

11— श्री सुशील कुमार मिश्र पुत्र स्व० विपिन बिहारी, निवासी रूद्रपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 21,600/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

12— श्रीमती नम्रता त्रिपाठी, निवासी राघवनगर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 41,575/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

12— श्री रामसेवक राजभर पुत्र श्यामबली, निवासी ट्यूबेल कालोनी, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 31,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

14— श्री जितेन्द्र विश्वकर्मा, निवासी रूद्रपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 25,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

15— श्री विनय कुमार मिश्र पुत्र स्व० सर्वदेव मिश्र, निवासी भठवा धर्मपुर, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 4,49,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

16— श्री अछैबर पुत्र शिवलाल, निवासी एकला मिश्रौलिया, थाना रूद्रपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 1,00,160/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

17— श्री आनन्द प्रकाश मिश्र पुत्र रामअधार, निवासी बनुआडीह, थाना भलुअनी, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 11,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

18— श्री लक्ष्मी यादव पुत्र सुमित यादव, निवासी सीसी रोड, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 20,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

19— श्रीमती बिन्दू देवी पत्नी रामाश्रय निषाद, निवासी लुअठही, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 70,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

20— श्री एजाज अहमद खां, नि० पुलिस कार्यालय, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 19,500/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

21— श्रीमती आभा मिश्र, निवासी सलहाबाद, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया के खाते से अवैध रूप से ऑनलाइन निकासी कर लगी गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते में 50,000/—रूपये मात्र वापस कराया गया।

### साइबर क्राइम सेल, टीम—

- 1—नि० अश्वनी कुमार राय,
- 2—उ०नि० मुकेश कुमार मिश्र
- 3—कं०ऑ० शिवमंगल यादव
- 4—कां० प्रद्युम्न कुमार जायसवाल,
- 5—कां० दीपक सोनी,
- 6—म०कां० प्रिया।

नोट:—पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 10,000/—रूपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.09.2021 जनपद देवरिया ।  
देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में 02  
अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से  
दण्डित किया गया ।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के क्रम पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र  
द्वारा जनपद देवरिया में चलाये जा रहे "ऑपरेशन शिकंजा" के अन्तर्गत थाना मदनपुर  
पर पंजीकृत मु0अ0सं0-411ए/2006 धारा-302 भादंसं बनाम रामाश्रय विश्वकर्मा पुत्र  
रामचन्द्र विश्वकर्मा एवं राजाराम पुत्र वासदेव निवासी-नैपुर थाना-मदनपुर  
जनपद-देवरिया के विरुद्ध मा0 न्यायालय में प्रचलित वाद में मा0 न्यायालय द्वारा  
दोनो अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के जुर्माना एवं  
जुर्माना न अदा किये जाने की स्थिति में छः-छः माह के अतिरिक्त कारावास से  
दण्डित किया गया ।